हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17.09.2021

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सीपीसी सपठित 151 सीपीसी की बहस दिनांक 13.09.2021 को सुनी गयी। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि प्रार्थी राज्य पक्ष ने एक व्यक्ति राजेश कुमार पुत्र देवीलाल के प्रार्थना पत्र पर प्रश्नगत भूमि मिथ्या रूप से मन्दिर श्री ठाकुर जी की खातेदारी होने का कथन कर यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वस्तुतः प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के पूर्वजों की Occupancy tenancy की थी तथा बीकानेर रियासत काल मे अप्रार्थी के पूर्वज को मंदिर की सेवा पूजा की एवज में लगान माफ किया गया था। चूंकि यह लगान बएवज खिदमत मन्दिर माफ हुआ था, इस कारण राजस्व अभिलेख में यह भूमि कथित रूप से "मन्दिर ठाकुर जी" के नाम दर्ज न होकर "माफी मन्दिर" थी तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार यह भूमि जागीर भूमि होने के कारण जागीर के अधिग्रहण होने पर सक्षम न्यायालय जागीर कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश से खातेदारी घोषित हुई। प्रार्थी राज्य पक्ष ने इस मौजूदा प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों के सबंध में प्रश्नगत भूमि के लिये पूर्व में सन 2007 में भी रैफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो मा0 न्यायालय के समक्ष रैफरेन्स प्रकरण सं0 02/2007 शीर्षक "राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ बनाम गणपतराम (कायम मुकाम बनवारीलाल)" पर दर्ज हुआ मा0 न्यायालय ने इस रैफरेन्स प्रार्थना पत्र पर दिनांक 07.12.2007 का निर्णय पारित किया तथा राज्य पक्ष ने इस निर्णय अनुसार मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष रैफरेंस प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है तथा प्रार्थी राज्य पक्ष को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान है। प्रकरण सं0 02/2007 में विषयवस्तु यही कृषि भूमि है तथा पक्षकार भी समान है तथा रैफरेन्स के आधार भी समान है। इस कारण न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक कार्यवाही मे पूर्व में निर्णित हो चुके मुद्दे पर प्रार्थी राज्य पक्ष को पुनः रैफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है तथा प्राड़न्याय के सिद्धान्त (Principle of Res-judicata) के विधिक एवं आज्ञापक प्रावाधानों के अनुसार इस विषयवस्तु के संबंध में प्रस्तुत यह द्वितीय रेफरेन्स पत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्राथमिक विधिक आपति प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि विवादग्रस्त आराजी माफी मंदिर की है, मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है, इसलिए इसके अधिकार हस्तान्तरित नहीं हो सकते है इसलिए खातेदारान का नाम विलोपित कर पुनः माफी मन्दिर के नाम रैफरेंस प्रस्तुत किया गया है जो की सही है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सीपीसी सपठित 151 सीपीसी खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राज्य पक्ष तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.12.2007 के

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अनुसार मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष रैफरेंस प्रस्तुत किया गया। मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2021 से राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तुत किया गया रैफरेंस खारिज किया गया है। श्रीमान कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 245 दि0 06.08.65 की पालना में प्रश्नगत ईन्तकाल सं0 09 दिनांक 22.10.65 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का ईन्तकाल माफी मन्दिर की बजाय गणपत राम पुत्र रूपराम के नाम से दर्ज किया, जिसके विरूद्ध मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रश्नगत भूमि की अपील सं0 75/96/जागीर एक्ट/ (32553/96) विचाराधीन है। मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील लंबित होने कारण रैफरेंस की कार्यवाही मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा खारिज की गयी है।

अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सीपीसी सपठित 151 सीपीसी स्वीकार कर राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(रामरतन साँकरिया)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ